हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 26 अगस्त, 2009

संख्या वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल/1–40/2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(गोवर्धन सिंह),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

————————

2009 का विधेयक संख्यांक 24

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2009 है ।

2. **धारा 3 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) में ''आठ हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पन्द्रह हजार रुपये'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. **धारा 4–ख का प्रतिस्थापन.––**मूल अधिनियम की धारा 4–ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :––

''**4–ख निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.––**प्रत्येक सदस्य को बीस हजार रुपये की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्रतिमास संदत्त किया जाएगा ।''।

4. **धारा 4–खख का प्रतिस्थापन.––**मूल अधिनियम की धारा 4–खख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

''**4–खख कार्यालय भत्ता.––**प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता संदत्त किया जाएगा ।''।

5. **धारा 5 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में ''सात हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

6. **धारा 6–क.क. का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 6–कक में ''सचिवीय डाक सुविधाओं और'' तथा ''सचिवीय, डाक सुविधाएं'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

7. **धारा 6–ख का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 6–ख में,––

(क) उपधारा (1) में ''पांच हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपये'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ङ) के प्रथम परन्तुक में ''दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''चार सौ रुपये'' शब्द रखे जाएंगे ।''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जो राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों का जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों सुख–सुविधाओं में संशोधन की लगातार मांग रही है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री।

शिमला.....

दिनांक.....अगस्त, 2009.

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 7 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 120 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[जी0ए0डी0 फाईल नं0 जी0ए0डी0–सी (डी) 6–1/2007]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2009 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

————

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा के (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) के उपबन्धों के उद्धरण

3. **वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता.––**इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को इस अधिनियम के प्रदत्त होने की तारीख से या उसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से या यदि ऐसी घोषणा रिक्ति होने से पहले की गई हो, तो रिक्ति

होने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी बाद में हो, प्रति मास आठ हजार रुपये की दर से वेतन और पांच हजार रुपये की दर से प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(2) X X X X
(3) X X X X

(4) इसमें इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य को किसी ऐसी अवधि के, बारे में, जिसके दौरान यह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिक निरोध में या, कोई वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.––इस प्रयोजन के लिए विधिक निरोध के अन्तर्गत किसी निवारक निरोध से सम्बन्धित विधि के अधीन निरोध नहीं है।

4–खख. कार्यालय भत्ता और चालक भत्ता.––प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता और चार हजार रुपये प्रतिमास की दर से चालक भत्ता दिया जाएगा।''।

5. सुख सुविधाएं.––(1) सदस्य, सभा की बैठक के स्थान पर, रियायती दरों पर ऐसे निवास स्थान का हकदार होगा जो धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक सदस्य एक टैलीफोन अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान पर या अपने स्थायी निवास के स्थान पर, यदि ऐसे स्थान पर ऐसी सुविधा साधारण दरों पर और कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना उपलब्ध है, या शिमला में, जैसा भी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए संस्थापित कराने का हकदार होगा और संस्थापन के स्थान के ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टैलीफोन के प्रथम संस्थापन के लिए प्रभार और प्रतिभूति–निक्षेप और वार्षिक किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और अन्य सभी व्यय, वे जो कि स्थानीय या वाह्य कालों से सम्बन्धित हैं, सदस्य द्वारा संदत्त किए जाएंगे :

परन्तु ऐसे सदस्यों को, जो इस उप–धारा के अधीन टैलीफोन संस्थापित कराएगा प्रतिमास सात हजार रुपए की दर से टैलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई सदस्य उसके निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी स्थान पर या उसके स्थाई निवास स्थान पर या शिमला में टैलीफोन संस्थापित नहीं करता है, तो उसे प्रतिमास दो सौ रुपये की दर से टैलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा।

6–कक, वेतन और प्रतिकरात्मक, निर्वाचन क्षेत्रीय, सचिवीय, डाक सुविधाओं और टैलीफोन भत्तों और अन्य परिलब्धियों का आय कर से अपवर्जित होना.––इस अधिनियम के अधीन सदस्य की संदेय वेतन और प्रतिकरात्मक, निर्वाचन क्षेत्रीय, सचिवीय, डाक सुविधाएं और टैलीफोन भत्ता और उसे अनुज्ञेय परिलब्धियां आय कर से अपवर्जित होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संदेय होगा।

स्पष्टीकरण.––राज्य द्वारा संदेय आय कर की रकम आय कर के लिए निर्धारित आय की प्रथम स्लैब होगी, अर्थात् इस रकम के निर्धारण में सम्बन्धित सदस्य की आय के अन्य स्रातों को गिनती में नहीं लिया जाएगा।

6–ख––

(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने––
  (क) विधान सभा के सदस्य, या
  (ख) श्रेत्रीय परिषद् सदस्य, या
  (ग) भागतः विधान सभा के सदस्य और भगतः क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य, या
  (घ) (1) पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के तत्कालीन राज्य की विधान सभा; या

(2) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा, या
(3) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान परिषद्; या
(4) भागतः एक और भागतः दूसरी के सदस्य जिन्हें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए पूर्ण क्षेत्र या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है,

(ङ) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः यथास्थिति, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य क्षेत्र के तत्कालीन राज्य या तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में पांच वर्ष तक किसी अवधि के लिए सेवा की है, प्रतिमास पांच हजार रुपए पेन्शन संदत्त की जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष से अधिक अवधि तक उपयुक्त रूप से सेवा की है, वह उसे प्रत्येक वर्ष के प्रतिमास दो सौ रुपए की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी, किन्तु वर्ष के भाग को एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन संदेय अतिरिक्त पेन्शन के अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करते समय, हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र) में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की दशा में, जहां निर्वाचन आम चुनाव के लिए नियत दिन के पश्चात्वर्ती किसी भी दिन करवाए जाते हैं या करवाए जा सकेंगे, उस तारीख, जिसको आम चुनाव में विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और वह तारीख जिसको, हिमवाधित (असमरूप क्षेत्र) से निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, की मध्यवर्ती अवधि की भी गणना की जाएगी।

स्पष्टीकरण.––पद ''हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र)'' से किन्नौर और लाहौल एवं स्पिती जिले तथा चम्बा जिला में तहसील पांगी और भरमौर अभिप्रेत हैं।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन का हकदार कोई व्यक्ति––

(i) राष्ट्रपति या उप–राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है; या

(ii) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा (3) के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य बन जाता है; या

(iii) वेतन पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम में या स्थानीय प्राधिकरण में नियोजित या राज्य सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकरण से अन्यथा कोई पारिश्रमिक पाने का हकदर हो जाता है ;

तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए जिसके वह ऐसा पद धारण किए रहता है या ऐसा सदस्य बना रहता है, या ऐसे नियोजित है या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति ऐसे पद धारण करने या ऐसा सदस्य रहने या ऐसे नियोजित रहने के लिए संदेय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को संदेय खण्ड (iii) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक किसी भी दशा में उप–धारा (1) के अधीन उस संदेय पेन्शन से कम है, वह ऐसा व्यक्ति उस उप–धारा के अधीन पेन्शन के रूप में केवल अतिशेष को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) जहां उप धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार कोई व्यक्ति कोई अन्य पेन्शन पाने का भी हकदार है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अन्य पेन्शन के साथ–साथ उप–धारा (1) के अधीन, पेन्शन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) में यथा परिभाषित मंत्री के रूप में या विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा की है।

(5) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन या पेन्शन लेने के हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तोः––

(i) उसकी पत्नी/पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त; या
(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति नहीं है तो व्यस्कता की आयु अभिप्राप्त करने पर्यन्त, उसकी सन्तान और पुत्रियों की दयाा में उनके विवाह पर्यन्त, अनुज्ञेय पेन्शन के 50 प्रतिशत की दर पर पेन्शन लेने के हकदार होंगे :

परन्तु जहां इस उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन लेने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को समान अंश में लेने के हकदार होंगे।

(5–अ) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (1–अ) के अधीन पेंशन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु फरवरी, 1989 के सातवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका वहां उसकी पत्नी, पति, अवयस्क संतान या अविवाहित पुत्रियों उप–धारा (5) के अधीन पेंशन लेने का हकदार होंगे, मानों कि ऐसा व्यक्ति फरवरी, 1989 के सातवें दिन को जीवित था।

(6) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका, तो––

(प) उसके जीवन काल में या उसके पुनः विवाह करने पर्यन्त उसका पति/पत्नी, या
(पप) यदि ऐसे व्यक्ति का पति/पत्नी नहीं है तो उसकी अवयस्क सन्तान व्यस्कता की आयु प्राप्त करने के पर्यन्त और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह करने पर्यन्त,

उस राशि के बराबर पेन्शन जो ऐसे व्यक्ति ने पेन्शन के रूप में प्राप्त की होती, यदि वह दिसम्बर, 1976 के इकतीसवें दिन को जीवित होता या तीन सौ पचहतर रुपये की राशि प्रति मास, इन दोनों में से जो अधिक हो, लेने का हकदार होगा/होगी :

परन्तु इस उप–धारा के अधीन तीन सौ पचहतर रुपये की उच्चतर सीमा जनवरी, 1986 के चौबीसवें दिन से मार्च, 1988 के इक्तीसवें दिन तक की कालावधि की पेन्शन के लिए लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन के हकदार हों तो ऐसी सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को बराबर हिस्सों में लेंगे।

(7) प्रत्येक व्यक्ति को जो इस धारा के अधीन पेन्शन/कुटुम्ब पेंशन लेता है या पेंशन/कुटुम्ब पेंशन लेने का हकदार है, अनुज्ञेय पेन्शन/कुटुम्ब पेंशन के अतिरिक्त, उसी दर से पेन्शन पर महंगाई राहत संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार के अन्य पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय है।

————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 24 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follow :—

1. *Short title.*—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2009.

2. *Amendment of section 3.*—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words **"eight thousand rupees",** the words **"fifteen thousand rupees"** shall be substituted.

3. *Substitution of section 4-B.*—For section 4-B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"4-B. Constituency allowance.—There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of twenty thousand rupees per mensem.".

4. *Substitution of section 4-BB.*—For section 4-BB of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"4-BB. Office Allowance.—There shall be paid to each Member an office allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.".

5. *Amendment of section 5.*—In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), in first proviso, for the words **"seven thousand rupees"**, the words **"ten thousand rupees"** shall be substituted.

6. *Amendment of section 6-AA.*—In section 6-AA of the principal Act, the words and sign "secretarial, postal facilities and" and "secretarial, postal facilities" shall be omitted.

7. *Amendment of section 6-B.*—In section 6-B of the principal Act, in sub-section (1)—

(a) for the figures **"5000"**, the figures and sign **"10,000"** shall be substituted.; and

(b) in clause (e), in the first proviso, for the figures and signs **"200/-"**, the figures and signs **"400/-"** shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and amenities. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla :
The.....August, 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 to 7 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 120 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C (PA) D (6)-1/2007]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2009 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971 (ACT NO. 8 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section-3 Salaries and Compensatory Allowances.—(1) Subject to the condition herein contained, there shall be paid to each Member a salary at the rate of **eight thousand** rupees and compensatory allowance at the rate of five thousand per mensem with effect from the commencement of this Act or from the date on which he is declared duly elected under the Representation of the People Act, 1951 (Act No. 43 of 1951), or if such declaration is made before the vacancy occurs, from the date of occurrence of vacancy which is later.

(2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(4) Notwithstanding anything hereinbefore contained no salary and compensatory allowance shall be paid to any member in respect of any period during which he was under legal detention under any law for the time being in force.

Explanation.—The legal detention for this purpose does not include detention under any law relation to preventive detention.

4-B. Constituency secretarial and postal facilities allowance.—There shall be paid to each member a constituency, secretarial and postal facilities allowance at the rate of [1][ten thousand] rupees per mensem:]

[2][XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

4-BB. Office Allowance and Driver Allowance.—There shall be paid to each Member an office allowance mat the rate of five thousand rupees per mensem and Driver allowance at the rate of four thousand rupees per mensem.

6-AA. Compensatory constituency, secretarial postal facilities and telephone allowances and other perquisites to the exclusive of income tax.—The salary and compensatory, constituency, secretaial, postal facilities and telephone allowances payable to a Member and other perquisites admissible to him, under this Act, shall be exclusive of the income tax which shall be payable by the State Government.

Explanation.—The amount of income-tax payable by the State, would be first slab of the income assessed for income tax *i.e.* in assessing this amount, the other sources of income of the member concerned shall not be taken into consideration.

6-B Pension.—(1) There shall be paid a pension of Rs. **5000** per mensem to every person who has served for any period up to five years as,—

(*a*) a member of Assembly; or

(*b*) a member of the territorial Council; or

(*c*) partly as a member of the Assembly and partly as member of the Territorial Council; or

(*d*) a member of—

(*i*) the Legislative Assembly of the erstwhile State of Patiala and east Punjab States Union; or

(*ii*) the Legislative Assembly of the erstwhile Punjab State; or

(*iii*) the Legislative Council of the erstwhile Punjab State; or

(*iv*) partly as a member of the one and partly as a member of the other;

who has been elected or nominated to represent the whole or the part of the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab re-organisation Act, 1966.

(*e*) partly as a member of the Assembly and partly as a member of the Legislative Assembly of erswhile State of Patiala and East Punjab State Union or the Legislative Assembly/Council of the erstwhile State of Punjab, as the case may be :

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding first term, there shall be paid to him an additional pension of Rs. **200/-** per mensem for every year in excess of period of the first term, provided that for this purpose, the fraction of a year shall be counted as one year:

Provided further that while reckoning the period for the determination of the additional pension payable under the preceding proviso in the case of members elected from the constituencies comprised of Snow-bound area (non-Synchronous area) where the elections are or may be conducted on any day subsequent to the day fixed for the general elections, the period intervening the date on which the oath is administered to the members elected to the Assembly in the general elections and the date on which the oath is administered to the members elected from the Snow-bound area (non-Synchronous area) shall also be counted.

Explanation.—The expression "Snow bound area (non-Synchronous area)" means the area ccomprising Kinnaur, Lahaul and Spiti district and Pangi and Bharmour tehsil in Chamba district.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1),—

(*i*) is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the Office of the Governor of any State or Administrator of any Union Territory; or

(*ii*) becomes a Member of any Legislative Assembly of a State or a Union Territory or Legislative Council of State or the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966; or

(*iii*) is employed on a salary under the Central Government or any State Government or in a Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or local authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from State Government, Corporations or local authority.

such person shall not be entitled to any pension under sub-section (1) for the period during which he continues to hold such office or as such member or is so employed or continues to be entitled to such remuneration:

Provided that where the salary payable to such person for holding such office or being such member or so employed or where the remuneration referred to in clause (iii) payable to such person is in either case less than the pension payable to him under sub-section (1) such person shall be entitled only to receive the balance as pension under that sub-section.

(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension.

(4) In computing the number of years for the purposes of sub-section (1), the period during which a person has served as a minister, as defined in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 or the Speaker or the Deputy Speaker of the Assembly or the Chairman of the Territorial Council shall also be taken into account.

(5) Where any person who draws pension or is entitled to draw pension, under sub-section (1), dies,—

(*i*) his/her spouse during his her life time or till he she remarries; or

(*ii*) if such person leave no spouse his minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension at the rate of 50% of pension as admissible to such person :

Provided that where more than one person becomes entitled for pension under this sub-section all such draw the said pension in equal shares.

(5-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this where a person would have been entitled to draw pension under sub-section (1) or sub-section (1-A) of this section but for his death before the 7th day of February, 1989 he could not draw such pension, his spouse, minor children or un-married daughters shall be entitled to draw pension under sub-section (5), as if such person was alive on the 7th day of February, 1989.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where a person would have been entitled to draw pension, under sub-section (1) but for his death before the 31st day of December, 1976 he could not draw such pension—

(*i*) his/her spouse during his/her life time or till he/she remarries; or
(*ii*) if such a person leaves no spouse, his/her minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension equal to a sum which would have been drawn by such a person as pension under this section as if such person was alive on the 31st day of December, 1976 or the sum of rupees three hundred and seventy five per mensem, whichever is higher:

Provided that the upper limit of rupees three hundred and seventy five shall not apply for the pension under this sub-section for the period from the 24th day of January, 1986 to the 31st day of March, 1988:

Provided further that where more than one person becomes entitled to pension under this sub-section, all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(7) Every person who draws pension/family pension or is entitled to draw pension/family pension, shall in addition to the pension/family pension admissible under this section, be paid dearness relief in pension at the same rates as is admissible to other pensioners of the State Government.

———